संख्या– 181 / नौ–7–2017–6(ज)/18

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
2– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
(एक लाख जनसंख्या से अधिक के निकाय)

नगर विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2018

विषय :– **नगरीय निकायों में प्रवर्तन दल की स्थापना।**

महोदय,

नगरीय निकायें संवैधानिक स्वायत्तशासी संस्थाएं है। इन्हें संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से और अधिक वित्तीय प्रशासनिक अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है। नगरीय निकाय के कर्तव्य/दायित्वों का निर्वहन अधिनियम तथा नियमावली के प्राविधानों तथा सदन के निर्णयों के माध्यम से किया जाता है। स्थानीय निकायों को सौपे गये कर्तव्यों एवं दायित्वों में प्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रवर्तन को अधिक सुदृढ एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों और अधिनियम व नियमावलियों के प्राविधानों का अनुपालन स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित करने में नियमित अनुश्रवण तथा प्रवर्तन की महती भूमिका होती है। निकायों के महत्वपूर्ण दायित्वों में नियमित सफाई, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़क, मार्ग, प्रकाश आदि व्यवस्था शामिल है। निकायों की सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराना व अतिक्रमण मुक्त रखना, मार्गो से अतिक्रमण हटाना, अनधिकृत स्थानों पर लगे होर्डिंग्स व ट्रैफिक सुरक्षा, अनधिकृत पार्किग रोकना, निकायों की सम्पत्तियों पर से अनधिकृत कब्जा हटाना, अप्रदूषणकारक पशुओं का विनियमन और नियंत्रण व 50 माइक्रान से कम मोटाई के प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध आदि सम्मिलित है।

2– उपरोक्त के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में विस्तृत रूप से शासनादेश संख्या–3079/नौ–7–12–16ज/2012, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को जारी किये गये है। मा0न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

Order dated 06-04-2005 (Writ Petition No. 2435(MB) of 2001)

"....The Senior Superintendent,Lucknow shall provide the necessary force to the Nagar Nigam for removing the encrochment from the footpath, pavements, public road and streets, He shall also ensure that the in charge/Beat in charge of the concerned Police Station shall take all necessary steps for removing the encrochments from the foot paths pavements. public roads,streets etc in their respective areas..."

Order dated 17-5-2005 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

"any encroachment is made on the footpaths and pavements then the responsibility will be of the 'In charge' of the concerned police station and the Superintendent of the police of the area shall be accountable for the same..."

Order dated 27-02-2006 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

".....the Nagar Nigam,the development Authority, the Public works, Department and the local police shall remove all the encroachment from the foot pathes. pavements roads and street and ensure that the encrochment which was removed earlier do not recur..."

Order dated 09-05-2008 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

"......In the meantime, the Public Works Department, the Lucknow Development Authority, the Lucknow Nagar Nigam and U.P. Awas evam Vikas Parishad, with the assistance of police remeve all the encroachments and unauthorized parking, as ordered by this Court from time to time, from the roads, streets, footpaths and pavements. They shall also remove the encroachments from all the colonies of the city....."

Order dated 18-7-2008 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

".....the piblic works department. Development authority, the U.P.Awas evam Vikas Parishad and the Ngar Nigam, with the assistance of local police,shall remove all the encroachments and unauthorized parking, and also demolish the illegal constructions raised on the public land use though out the city. They shall, with the help of National Highways passing through the city.

The senior Superintendent of polic, shall provide adequate police force to Development Authority, U.P.Awas evam Vikas Parishad and Nagar Nigam Lucknow on their demand."

3– शासन के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 में उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त नगरीय निकायों के परिसम्पत्तियो की सुरक्षा से लेकर यातायात व स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर शासन के निर्देश तथा नियमावली के प्राविधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए एक मजबूत प्रवर्तन दल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 115 के खण्ड 41 में इस प्रकार के प्राविधान उपलब्ध हैं।

4– अतः विषयगत प्रकरण में वर्णित स्थान के दृष्टिगत प्रारम्भ में नगर निगमों तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में प्रवर्तन दल का गठन करते हुए इस व्यवस्था को निम्नानुसार लागू किया जाना प्रस्तावित हैः–

(1) <u>प्रवर्तन दल नगर निगम</u>

1– सेना के भूतपूर्व अधिकारी अधिकारी (न्यूनतम लेफ्टीनेंट कर्नल स्तर)	एक
2– सेना के भूतपूर्व सिपाही	चार
3– होमगार्ड अथवा पी0आर0डी0 अथवा सिक्योरिटी सेवा	पन्द्रह

(2) <u>प्रवर्तन दल नगर पालिका परिषद (एक लाख से अधिक जनसंख्या)</u>

1– सेना के भूतपूर्व अधिकारी अधिकारी (न्यूनतम लेफ्टीनेंट कर्नल स्तर)	एक
2– सेना के भूतपूर्व सिपाही	तीन
3– होमगार्ड अथवा पी0आर0डी0 अथवा सिक्योरिटी सेवा	छः

(3) <u>प्रवर्तन दल के दायित्व</u>

1– प्रवर्तन दल सालिड बेस्ड मैनेजमेंट और विशेष तौर पर प्लास्टिक के कूडे पर प्रवर्तन प्राथमिकता से करेंगे।

2– यह दल कूडे के अवैध रुप से किये जा रहे निस्तारण से हॉट स्पाट एवं इण्टर सिटी रोड्स पर भी कूडे के अवैध भण्डारण /निस्तारण पर प्रवर्तन करेंगे।

3– नगरीय निकाय की सम्पत्तियों से अतिकमण/अवैध कब्जा हटाना और न होने देना सुनिश्चित करना।

4– अवैध विज्ञापन पटों को हटाना और अवैध विज्ञापन पट न लगने देना।

5– सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण/अवरोध हटाना और उसकी पुनरावृत्ति न होने देना।

6— अवैध पार्किंग को रोकना।

7— प्रतिबंधित बेण्डिग जोन में बेण्डिग न होना सुनिश्चित करना और संबंधित नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना।

8— प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय पर प्रतिबंध सुनिश्चित करना।

9— नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रवर्तन के संबंध में दिये गये अन्य कार्य।

10— प्रवर्तन दल के साथ नगर निगम / नगर पालिका परिषद का सक्षम अधिकारी/ कर्मचारी जो स्थल पर समुचित निर्णय लेने, शास्ति आरोपित करने और प्रवर्तन का क्रियान्वयन करने हेतु अधिकृत हो प्रवर्तन दल के साथ रहेगा।

11— प्रवर्तन दल द्वारा कृत्य/सम्पन्न कार्यवाही, वसूली की गयी शास्ति की धनराशि और दायित्वों के निवर्हन के संबंध में प्रगति की नियमित मासिक समीक्षा नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी द्वारा की जायेगी और उसकी सूचना और परफारमेन्स रिर्पोट प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

12— प्रवर्तन दल के सदस्यों का वेतन देयों का भुगतान संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। प्रवर्तन दल को भुगतान किये गये वेतन की समीक्षा उसके द्वारा की गयी वसूली की धनराशि से की जायेगी।

(4) <u>प्रवर्तन दल की नियुक्ति</u>

क— सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से राज्य स्तर की समिति करेगी।

ख— प्रवर्तन दल के अन्य भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से संबंधित नगर निगम / नगर पालिका परिषद के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

ग— प्रवर्तन दल के अन्य कर्मियों यथा होमगार्ड/पी0आर0डी0 की नियुक्ति पैरा—ख के अनुसार संबंधित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी / नगर आयुक्त होमगार्ड/पी0आर0डी0 के जिलास्तरीय अधिकारियों के सहयोग से की जायेगी।

घ— उक्त के अलावा अगर प्रवर्तन दल को और कोई लेबर इत्यादि की आवश्यकता हो तो संबंधित नगर निकाय अपने यहां उपलब्ध मानव संसाधन से उपलब्ध करायेंगे।

(5) <u>प्रवर्तन दल को दिये जाने वाली सुविधाएं</u>

प्रत्येक प्रवर्तन दल को एक छोटी गाडी एवं एक छोटा ट्रक प्रवर्तन हेतु दिया जायेगा। इन वाहनों को संबंधित नगर निकाय किराये पर लेकर या पहले से उपलब्ध वाहन को संबंधित दल को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त महापौर, नगर निगम, उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
6. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त महापौर, नगर निगम, उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
6. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।